



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266273
CG-DL-E-20092025-266273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 4115]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

का.आ. 4233(अ).— केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को निरीक्षकों के रूप में पूरे भारत में उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त करती है, अर्थात्: -

क्र. सं.	नाम
1	श्री जे. रवि कुमार
2	श्रीमती हरिता समीरजा नागमपल्ली
3	श्रीमती रंजीता नायक
4	श्रीमती सोनाली सुमन
5	श्रीमती बिंदु कुमारी
6	श्री मंगल ज्योति दास
7	श्रीमती वंदना मालवीया
8	श्रीमती मोनिका पाटनवार

9	श्रीमती सरन्या बोगाधि
10	श्रीमती राजेश्वरी कोरुप्रोलू
11	श्रीमती लिपिका राँय
12	श्रीमती कविता
13	डॉ. कोतरपु राम कोटेश्वर राव
14	श्रीमती ज्योत्सना माला दास
15	श्री अभिषेक कुमार
16	डॉ. राजीव कुमार
17	श्री श्रवण कुमार मुप्पू
18	श्रीमती रेणुका पोथु
19	श्रीमती कामातं तुलसी लक्ष्मी
20	श्रीमती कोप्पुला तेजस्विनी
21	श्री नीतीश कुमार
22	डॉ. सुमंत कुमार घोष
23	श्री प्रशांत कुमार किल्ली
24	श्रीमती बुलुसु साई गायत्री
25	श्रीमती अश्विनी एम.
26	श्रीमती मरदानी मीना देवी
27	श्री आर. वेंकटेश्वरलु
28	श्री एम सुंदर कार्तिकियन
29	श्रीमती स्वप्ना गंधम
30	श्रीमती सौम्या काटरेडुडी
31	श्रीमती गन्नामणि स्वाति
32	श्री सौरभ साहू
33	श्रीमती पावनी किलमसेट्टी
34	श्रीमती सना
35	श्री वंगा हरीष
36	श्रीमती केलोतु धांतिबाई
37	श्री अंधवरपु संतोष कुमार
38	श्रीमती टेकु राज्य लक्ष्मी
39	श्रीमती इप्पिलि रेखा
40	श्रीमती गुंजा चतुर्वेदी
41	श्री बुद्धा भास्कर गोत्रु
42	श्रीमती बोयिना अनूषा
43	डॉ. लोहितासु दुप्पाला
44	श्री वेलिसेट्टी विजय कुमार

45	श्रीमती गज्जि मानसा
46	श्री सांता वर्धन मालपोलु
47	श्रीमती मालोथ पद्मा कुमारी
48	सुश्री वेजेंडला मानसा रोजाम्बली
49	श्रीमती थोटमपुरी प्रियंका

2. निरीक्षक जो नियुक्त किये गए हैं अधिनियम की धारा 21 और 22 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. एक्स.11014/08/2025-डीआर]

निखिल गजराज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2025

S.O. 4233(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints the following as Inspectors for the purpose of the said Act for the whole of India, namely:-

S. No.	Name of officer
1	Sh. J. Ravi Kumar
2	Smt. Haritha Sameeraja Nagampalli
3	Smt. Ranjita Nayak
4	Smt. Sonali Suman
5	Smt. Bindu Kumari
6	Sh. Mangal Jyoti Das
7	Smt. Vandana Malviya
8	Smt. Monika Patanwar
9	Smt. Saranya Bhogadhi
10	Smt. Rajeswari Koruprolu
11	Smt. Lipika Roy
12	Smt. Kavita
13	Dr. Kotharapu Rama Koteswara Rao
14	Smt. Jyotsna Mala Das
15	Sh. Abhishek Kumar
16	Dr. Rajiv Kumar
17	Sh. Sravan Kumar Muppu
18	Smt. Renuka Pothu
19	Smt. Kamatam Thulasi Lakshmi
20	Smt. Koppula Tejaswini
21	Sh. Nitish Kumar
22	Dr. Sumanta Kumar Ghosh
23	Sh. Prashanth Kumar Killi
24	Smt. Bulusu Sai Gayatri

25	Smt. Aswini M.
26	Smt. Maradani Meena Devi
27	Sh. R. Venkateshwarlu
28	Sh. M. Sundara Karthikeyan
29	Smt. Swapna Gandham
30	Smt. Sowmya Katreddy
31	Smt. Gannamani Swathi
32	Sh. Saurabh Sahu
33	Smt. Pavani Killamsetty
34	Smt. Sana
35	Sh. Vanga Harish
36	Smt. Kelothu Danthi Bai
37	Sh. Andhavarapu Santosh Kumar
38	Smt. Teku Rajya Lakshmi
39	Smt. Ippili Rekha
40	Smt. Gunja Chaturvedi
41	Sh. Budhabhaskar Gotru
42	Smt. Boyina Anusha
43	Dr. Lohithasu Duppala
44	Sh. Velisetti Vijaya Kumar
45	Smt. Gajji Manasa
46	Sh. Santha Vardhan Malapolu
47	Smt. Maloth Padma Kumari
48	Ms. Vejendla Manasa Rojamble
49	Smt. Thottempuri Priyanka

2. The Inspectors so appointed are hereby authorised to exercise the powers and shall perform the duties as specified in sections 21 and 22 of the said Act and the rules made thereunder.

[F. No. X.11014/08/2025-DR]

NIKHIL GAJRAJ, Jt. Secy.